

अंचल अधिकारी का कार्यालय, मानगो।

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
मानगो।

पत्रांक:- 638

दिनांक:- 29.7.20

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
मानगो नगर निगम,
जमशेदपुर।

विषय:- सुमन कुमार पिता कपील देव ठाकुर द्वारा धारित भूमि का सत्यापन करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक- 1491, दिनांक- 23.07.2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से राजस्व कागजातो के साथ जाँच कराया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-अ0क्षे0 मानगो वार्ड नं0- 9, खाता नं0- 382, प्लॉट नं0- 1778, रकवा- 3.7 डी0 भूमि पंजी II भाग वर्तमान- 104 पृष्ठ संख्या- 1 पर सुमन कुमार पिता कपील देव ठाकुर के नाम पर जमाबंदी कायम है तथा वर्ष 2020-21 तक लगान भुगतान किया गया है। हाल सर्वे 1979 के खतियान में यह भूमि मी0सी0 भिरव्यु रिमेद पिता- सी0सी0 रिमेद के नाम पर दर्ज है, जो C.N.T. ACT 46 के अन्तर्गत नहीं आता है। जमाबंदी के अवलोकन से यह भूमि किसी विभाग द्वारा अर्जित नहीं पाया गया।

अतः जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर कारवाई हेतु प्रेषित

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी
मानगो।
29/7/20